उत्तरी भारत फैरी अधिनियम, 1878

(1878 का अधिनियम संख्यांक 17)[1]

[9 नवम्बर, 1878]

**उत्तरी भारत में फैरियों के
विनियमन के लिए
अधिनियम**

उद्देशिका—[2][उत्तर प्रदेश, पंजाब, सेन्ट्रल प्राविन्सेज, असम, दिल्ली तथा अजमेर] में फैरियों का विनियमन करना समीचीन है; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरी भारत फैरी अधिनियम, 1878 है ।

स्थानीय विस्तार—[3][इसका विस्तार केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब, सेन्ट्रल प्राविन्सेज, असम, दिल्ली तथा अजमेर पर है ।]

प्रारम्भ—यह उक्त राज्यक्षेत्रों में से प्रत्येक में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

2. [**निरसन ।**]—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित ।

3. निर्वचन-खण्ड—इस अधिनियम में "फैरी" शब्द में नौकाओं, पान्टूनों या बेड़ों का पुल, झूला पुल, उड़न पुल और अस्थायी पुल तथा किसी फैरी के पहुंच मार्ग और उतराई स्थान सम्मिलित हैं [4][और "पंजाब" तथा "अजमेर" से वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व क्रमश: पंजाब तथा अजमेर राज्यों में समाविष्ट थे ।]

2. सार्वजनिक फैरियां

4. सार्वजनिक फैरियां घोषित करने, स्थापित करने, परिनिश्चित करने, तथा बन्द करने की शक्ति—राज्य सरकार समय-समय पर—

(क) यह घोषणा कर सकती है कि कौन-कौन सी फैरियां सार्वजनिक फैरियां समझी जाएंगी तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वे किस-किस जिले में स्थित समझी जाएंगी;

(ख) किसी प्राइवेट फैरी का कब्जा ले सकती है तथा उसे सार्वजनिक फैरी घोषित कर सकती है;

(ग) वहां नई सार्वजनिक फैरियां स्थापित कर सकती है जहां उसकी राय में उनकी आवश्यकता है;

(घ) किसी सार्वजनिक फैरी की सीमाएं परिनिश्चित कर सकती है;

(ङ) किसी सार्वजनिक फैरी के मार्ग में परिवर्तन कर सकती है; और

(च) किसी ऐसी सार्वजनिक फैरी को बन्द कर सकती है जिसे वह अनावश्यक समझती है ।

---

[1] यह अधिनियम, लखीमपुर फ्रन्टियर ट्रैक्ट और कुछ उपांतरणों सहित असम के संदिया और बालूपारा फ्रांटियर ट्रैक्ट को लागू होता है । देखिए असम सरकार की अधिसूचना सं० 442 जी एस और 443 जी एस, तारीख 26 जनवरी, 1940 ।

यह अधिनियम 1958 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 23 (अधिसूचना की तारीख से) संपूर्ण मध्य प्रदेश को विस्तारित किया गया ।

यह अधिनियम 1883 के अधिनियम सं० 1, 1891 के अधिनियम सं० 12, 1907 के अधिनियम सं० 4, 1931 के मध्य प्रान्त अधिनियम सं० 1 और 1937 के मध्य प्रांत अधिनियम सं० 23 द्वारा मध्य प्रान्त में;

1833 के अधिनियम सं० 20 और 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा पंजाब में;

1914 के संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं० 1, 1948 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 29 और 1960 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 8 द्वारा (22-5-1960 से) उत्तर प्रदेश में;

1883 के अधिनियम सं० 1, 1891 के अधिनियम सं० 12, 1911 के बंगाल अधिनियम सं० 1 और 1939 के उड़ीसा अधिनियम सं० 6, 1948 के अधिनियम सं० 15 द्वारा सम्बलपुर जिले में;

1940 के कुर्ग अधिनियम सं० 6 द्वारा कुर्ग में;

1945 के अधिनियम सं० 6 द्वारा अजमेर में;

1950 के उड़ीसा अधिनियम सं० 23 द्वारा उड़ीसा में,

संशोधित किया गया ।

[2] "युनाइटेड प्राविन्सेज, ईस्ट पंजाब, सेन्ट्रल प्राविन्सेज असम, दिल्ली और अजमेर-मारवाड़" शब्दों के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1950 (अ० आ० 1950) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा जोड़ा गया ।

ऐसी प्रत्येक घोषणा, स्थापना, परिनिश्चय, परिवर्तन या समाप्ति राजपत्र में अधिसूचना द्वारा की जाएगी :

[1][परन्तु जब कोई नदी दो राज्यों के बीच में हो तब, ऐसी नदी की बाबत, इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उन राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राजपत्रों में अधिसूचनाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा [2]***:]

परन्तु यह भी कि जब किसी सर्वाजनिक फैरी के मार्ग या सीमाओं में कोई परिवर्तन उस नदी में परिवर्तनों के कारण आवश्यक हो जाए, तब ऐसा परिवर्तन उस खण्ड के आयुक्त द्वारा, जिसमें ऐसी फैरी स्थित है, या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर, नाम से या उसके पद के आधार पर इस निमित्त नियुक्त करे, उसके हस्ताक्षरित आदेश द्वारा, किया जा सकता है ।

5. प्रतिकर के लिए दावे—धारा 4 के अधीन किसी प्राइवेट फैरी का कब्जा लेने के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा उठाई गई हानि के लिए प्रतिकर के दावों की जांच उस जिले के, जिसमें ऐसी फैरी स्थित है, मजिस्ट्रेट द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, की जाएगी, और ऐसे दावे राज्य सरकार के विचार तथा आदेशों के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे ।

6. सार्वजनिक फैरियों का अधीक्षण—प्रत्येक सार्वजनिक फैरी का सीधा अधीक्षण, धारा 7 [3][तथा धारा 7क] में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, उस जिले के, जिसमें ऐसी फैरी स्थित है, मजिस्ट्रेट में या ऐसे अन्य अधिकारी में, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर, नाम से या उसके पद के आधार पर उस निमित्त नियुक्त करे, निहित किया जाएगा;

और, तब के सिवाय जब ऐसी फैरी के पथकर पट्टे पर दिए गए हों, ऐसा मजिस्ट्रेट या अधिकारी ऐसी फैरी के लिए नौकाओं के प्रदाय के लिए, और वहां उद्ग्रहणीय प्राधिकृत पथकर के संग्रहण के लिए, सभी आवश्यक इंतजाम करेगा ।

7. प्रबन्ध नगरपालिक में निहित किया जा सकेगा—राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि किसी शहर की सीमाओं के भीतर स्थित किसी सार्वजनिक फैरी का प्रबन्ध ऐसे अधिकारी या लोक निकाय द्वारा हो जिस पर शहर के नगरपालिक इंतजाम के अधीक्षण का भार है;

[4][और तब उस फैरी का प्रबन्ध तद्नुसार किया जाएगा ।]

[5][**7क. प्रबन्ध जिला परिषद् में या जिला या स्थानीय बोर्ड में निहित किया जा सकेगा**—राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि किसी राज्य में किसी जिला परिषद् या जिला बोर्ड या स्थानीय बोर्ड के प्राधिकार के अधीन क्षेत्र में पूर्णत: या अंशत: आने वाली किसी फेरी का प्रबन्ध उस परिषद् या बोर्ड द्वारा किया जाए और तब उस फैरी का प्रबन्ध तदनुसार किया जाएगा ।]

[6][**8. फैरी पथकरों को नीलाम द्वारा पट्टे पर देना**—किसी सार्वजनिक फैरी के पथकर, आयुक्त के अनुमोदन से, समय-समय पर, पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए सार्वजनिक नीलाम द्वारा पट्टे पर दिए या सकते हैं या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किसी भी अवधि के लिए सार्वजनिक नीलाम द्वारा, या सार्वजनिक नीलाम से अन्यथा, पट्टे पर दिए जा सकते हैं ।

पट्टेदार फैरी के प्रबंध तथा नियंत्रण के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप कार्य करेगा, और वह अधिकारी, जिसमें फैरी का सीधा अधीक्षण निहित है, या, धारा 7 या धारा 7क के अधीन यदि फैरी का प्रबन्ध कोई नगरपालिक निकाय या अन्य लोक निकाय करता है, तो, यथास्थिति, वह अधिकारी या निकाय, पट्टेदार से उसके अच्छे आचरण के लिए, और समय पर किराए के संदाय के लिए, ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा कर सकता है जैसी वह उचित समझे ।

जब पथकर का सार्वजनिक नीलाम किया जाता है तक, यथास्थिति, उक्त अधिकारी या निकाय, या उसकी ओर से विक्रय का संचालन करने वाला अधिकारी, उच्चतम बोली लगाने वाले की प्रस्थापना को, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अस्वीकार कर सकता है, और किसी अन्य की बोली को स्वीकार कर सकता है, या पक्षकारों का नीलाम बन्द कर सकता है ।]

9. पट्टेदार से बकाया की वसूली—किसी सार्वजनिक फैरी के पथकरों की पट्टेदार द्वारा उसके पट्टे के मद्धे शोध्य सभी बकाया पट्टेदार या उसके प्रतिभू से (यदि कोई हो) उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा जिसमें ऐसी फैरी स्थित है इस प्रकार वसूल की जा सकती है मानो वे भू-राजस्व की बकाया हो ।

10. पट्टा रद्द करने की शक्ति—किसी सार्वजनिक फैरी के पथकरों के पट्टे को राज्य सरकार अपने इस आशय की लिखित सूचना से छह मास की समाप्ति पर रद्द कर सकती है ।

---

[1] मूल परन्तुक के स्थान पर 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 तथा अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] "और किसी ऐसे मामले मे जहां उक्त स्थानीय सरकारें किसी ऐसी शक्ति के प्रयोग की बाबत करार करने में असफल हों वहां वे सपरिषद् गवर्नर जनरल के नियंत्रणाधीन रहते हुए ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगी" शब्द अ० आ० 1937 द्वारा विलोपित ।

[3] इस अधिनियम के निम्नलिखित को लागू होने में अर्थात् यू०पी० को यू० स्थानीय बोर्ड अधिनियम, 1883 (1883 का 14) की धारा 65 द्वारा, पंजाब को पंजाब जिला बोर्ड अधिनियम, 1883 (1883 का 20) की धारा 79 द्वारा, म०प्र० को म०प्र० स्थानीय स्वायत्त प्रशासन अधिनियम, 1883 (1883 का 1) की धारा 44 द्वारा, और असम को असम स्वायत्त प्रशासन (संशोधन) अधिनियम, 1926 (1926 का 8) की धारा 43 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित :—
"और आगे निदेश दे सकती है कि ऐसी फैरी के सभी आगम या उनका कोई भाग ऐसे शहर की नगरपालिक निधि में संदत्त किया जाएगा;
ओर तब ऐसी फेरी का प्रबन्ध और ऐसे आगम या उनके भाग का संदाय तदनुसार किया जाएगा ।" ।

[5] धारा 7क के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[6] मूल धारा के स्थान पर 1886 के अधिनियम सं० 3 की धारा 1 द्वारा प्रतिस्थापित ।

जब इस धारा के अधीन कोई पट्टा रद्द किया जाता है तब उस जिले का मजिस्ट्रेट, जिसमें ऐसी फैरी स्थित है, पट्टेदार को ऐसे, प्रतिकर का संदाय करेगा जो ऐसा मजिस्ट्रेट राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से अधिनिर्णीत करे ।

11. पट्टे का अभ्यर्पण—किसी सार्वजनिक फैरी के पथकरों का पट्टेदार, राज्य सरकार को ऐसे पट्टे का अभ्यर्पण करने के आशय की लिखित सूचना से एक मास[1] की समाप्ति पर तथा उस जिले के मजिस्ट्रेट को, जिसमें ऐसी फैरी स्थित है, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जिसका प्रत्येक दशा में, आयुक्त के अनुमोदन के अधीन रहते हुए ऐसा मजिस्ट्रेट निदेश दे, अपने पट्टे का अभ्यर्पण कर सकता है ।

12. नियम बनाने की शक्ति—[2][(1)] राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, किसी खण्ड का आयुक्त या ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर इस निमित्त नाम से या उसके पद के आधार पर नियुक्त करे, निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम से सुसंगत [3][राजपत्र में अधिसूचना द्वारा] नियम बना सकती है—

(क) ऐसे खण्ड में सभी सार्वजनिक फैरियों के नियंत्रण तथा प्रबन्ध के लिए और ऐसी फैरी पर यातायात के विनियमन के लिए;

[4][(ख) उस समय और रीति का जिस पर तथा जिसमें, और उन निबंधनों का जिन पर ऐसी फैरियों के पथकर नीलाम द्वारा पट्टे पर दिए जा सकते हैं, विनियमन करने के लिए तथा उन व्यक्तियों को विहित करने के लिए जिनके द्वारा नीलाम किए जा सकते हैं;]

(ग) उन व्यक्तियों को प्रतिकर के लिए जिन्होंने किसी ऐसी फैरी के उपयोग के लिए संदेय पथकरों का तब समझैता किया है जब ऐसी फैरी समझौता की गई अवधि की समाप्ति के पूर्व बन्द कर दी जाती है;

(घ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए; और जब धारा 8 अधीन किसी फैरी के पथकर पट्टे पर दिए गए हों, तब ऐसा आयुक्त या अन्य अधिकारी समय-समय पर (यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए) निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम से सुसंगत और नियम बना सकता है;

(ङ) ऐसी फैरियों के पथकरों के लिए संदेय किराए के संग्रहण के लिए;

(च) ऐसी दशाओं में जब नौकाओं, पान्टूनों या बेड़ों के पुल या झूला पुल, उड़न पुल या अस्थायी पुल के माध्यम से संचार स्थापित किया जाना है, तब यह विनियमित करने के लिए कि किस समय तथा किस प्रकार से ऐसे पुल का निर्माण किया जाएगा और उसे बनाए रखा जाएगा तथा जलयानों या बेडों को उससे होकर पार होने के लिए उसे खुला जाएगा; और

(छ) ऐसी दशाओं में, जिनमें यातायात का वहन नौकाओं से किया जाता है, निम्नलिखित का विनियमन करने के लिए—

(1) ऐसी नौकाओं की संख्या तथा प्रकार और उनकी विमाएं तथा उपस्कर;

(2) प्रत्येक नौका के लिए पट्टेदार द्वारा रखे जाने वाले कर्मीदल की संख्या**;**

(3) ऐसी नौकाओं को सतत अच्छी दशा में बनाए रखना;

(4) वे समय जिनके दौरान और वे अन्तराल जिन पर आवागमन के लिए पट्टेदार बाध्य होगा; और

(5) यात्रियों, पशुओं तथा यानों की संख्या तथा अन्य वस्तुओं का परिणाम और भार, जो एक फेरे में प्रत्येक प्रकार की नौका में वहन किया जा सकता है;

पट्टेदार यातायात की ऐसी विवरणियां देगा जिनकी यथापूर्वोक्त आयुक्त या अन्य अधिकारी समय-समय पर अपेक्षा करे ।

[5][(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी प्रभाग के आयुक्त या अधिकारी द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

13. मंजूरी के बिना सार्वजनिक फैरी के दो मील के भीतर निजी फैरी चलाने का निषेध—[6][जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त नाम से या उसके पद के आधार पर नियुक्त किए गए अन्य अधिकारी की मंजूरी की बिना कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक फैरी की सीमाओं से दो मील की दूरी के भीतर किसी स्थान पर कोई फैरी स्थापित नहीं करेगा, उसे बनाए नहीं रखेगा या नहीं चलाएगा :]

परन्तु किसी विनिर्दिष्ट सार्वजनिक फैरी के लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दो मील की उक्त दूरी को ऐसे विस्तार तक, जैसा वह ठीक समझे, कम कर सकती है या बढ़ा सकती है :

---

[1] उत्तर प्रदेश में "तीन मास" पढ़ें देखिए 1948 का उत्तर प्रेदश अधिनियम, 29 की धारा 2 ।
[2] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[3] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] मूल खण्ड के स्थान पर 1886 के अधिनियम सं० 3 की धारा 1 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 द्वारा और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] मूल पैरा के स्थान पर 1886 के अधिनियम सं० 3 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु यह और कि ऊपर उल्लिखित कोई भी बात किन्हीं व्यक्तियों को ऐसे दो स्थानों के बीच, जिन के बीच की दूरी तीन मील से कम नहीं है, तब जब कि एक स्थान उक्त सीमा के बाहर और दूसरा भीतर हो, नौवहन से निवारित नहीं करेगी अथवा ऐसी नौकाओं को लागू नहीं होगी [1][जो किराए पर नहीं चलती या] जिन्हें राज्य सरकार ने इस धारा के प्रवर्तन से अभिव्यक्त रूप से छूट दी है[2] ।

14. पहुंच मार्गों, आदि का उपयोग करने वाले व्यक्ति का संदाय करने के लिए दायी होना—जो कोई किसी सार्वजनिक फैरी के पहुंच मार्ग या जहां उतरने के स्थान का उपयोग करेगा वह ऐसी फैरी को पार करने के लिए पथकर देने के लिए दायी होगा ।

15. पथकर—[3]ऐसे सभी व्यक्तियों, पशुओं, यानों तथा अन्य वस्तुओं पर, जो सार्वजनिक फैरी से कोई नदी पार करते हैं, और जिनका उपयोग या परिवहन लोक सेवा के लिए नहीं किया जा रहा हो, पथकर, ऐसी दरों के अनुसार उद्ग्रहणीय होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर नियत करे :

परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर घोषणा कर सकती है कि किन्हीं व्यक्तियों, पशुओं, यानों या अन्य वस्तुओं को ऐसे पथकर से छूट होगी ।

जहां किसी फैरी के पथकर धारा 8 के अधीन पट्टे पर दिए गए हैं, वहां कोई ऐसी घोषणा, यदि वह [4][पट्टे] की तारीख के पश्चात् की जाती है, तो पट्टेदार को पथकरों की बाबत संदेय किराए के ऐसे उपशमन का हकदार बनाएगी, जिसे खण्ड का आयुक्त या ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर, इस निमित्त नाम से या उसके पद के आधार पर नियुक्त करे, नियत करे ।

16. पथकरों की सारणी—किसी सार्वजनिक फैरी के पथकरों का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत पट्टेदार या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे पथकरों की सुवाच्य रीति से देशी भाषा में लिखी हुई या मुद्रित सारणी, और यदि खण्ड का आयुक्त इस प्रकार निदेश दे तो अंग्रेजी भाषा में भी इस प्रकार की सारणी, फैरी के पास किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाएगा ।

पथकरों की सूची—और मांगने पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, हस्ताक्षरित पथकरों की सूची, प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा ।

[5][**17. पथकर, किराए, प्रतिकर तथा जुर्माने राज्य के राजस्व का भाग होंगे**—इस अधिनियम के अधीन सभी पथकर, किराए, प्रतिकर तथा जुर्माने (किसी पट्टेदार द्वारा प्राप्त पथकरों से भिन्न) राज्य के राजस्व का भाग होंगे ।]

18. पथकरों के लिए समझौता—राज्य सरकार यदि वह उचित समझे तो समय-समय पर, ऐसी दरें नियत कर सकती है जिन पर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक फैरी के उपयोग के लिए संदेय पक्षकारों का समझौता कर सकता है ।

3. निजी फैरियां

19. नियम बनाने की शक्ति—खण्ड का आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, समय-समय पर सार्वजनिक फैरियों से भिन्न फैरियों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा यात्रियों और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए नियम बना सकता है ।

20. पथकर—ऐसी फैरियों पर प्रभार्य पथकर धारा 15 के अधीन तत्समान सार्वजनिक फैरियों के लिए तत्समय नियत अधिकतम दरों से अधिक नहीं होंगे ।

4. शास्तियां तथा दांडिक प्रक्रिया

21. पथकरों की सारणी, पथकरों की सूची तथा यातायात की विवरणी के उपबन्धों के भंग के लिए शास्ति—प्रत्येक ऐसा पट्टेदार या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक फैरी पर पथकरों के संग्रहण के लिए प्राधिकृत है, धारा 16 में उल्लिखित पथकरों की सारणी को लगाने और ठीक रखने तथा अद्यतन रखने में उपेक्षा करता है ।

या जो जानबूझकर ऐसी सारणी को हटा देता है, उसमें परिवर्तन करता है या उसे विरूपित करता है या उसे अपाठ्य होने देता है;

या जो धारा 16 में उल्लिखित पथकरों की सूची मांगने पर नहीं देता है,

और प्रत्येक ऐसा पट्टेदार जो धारा 12 के अधीन अपेक्षित कोई विवरणी देने में उपेक्षा करता है,

जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकता है, दण्डित किया जाएगा ।

---

[1] 1886 के अधिनियम सं० 3 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] नार्दर्न इंडिया फैरीज (सी०पी० अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1937 (1937 का 23) द्वारा मध्य प्रान्त में धारा 13 में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया ।

[3] धारा 15 का उतना भाग निरसित किया गया है जितना भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम, 1901 (1901 का 2) की धारा 3 द्वारा छूट प्राप्त किन्हीं व्यक्तियों, पशुओं, यानों या अन्य वस्तुओं के पथकरों के संदाय से छूट के लिए उपबंध करता है; देखिए उस अधिनियम की धारा 8 ।

[4] "नीलाम" के स्थान पर 1886 के अधिनियम सं० 3 की धारा 1 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित ।

22. अप्राधिकृत पथकर लेने, तथा विलम्ब के लिए शास्ति—प्रत्येक ऐसा पट्टेदार या यथापूर्वोक्त ऐसा अन्य व्यक्ति और किसी निजी फैरी का कब्जाधारी कोई व्यक्ति, जो विधियुक्त से अधिक पथकर मांगता है या लेता है, या उचित कारण बिना किसी व्यक्ति, पशु, यान या अन्य वस्तु को विलंब करता है, जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकता है, दण्डित किया जाएगा ।

23. धारा 12 तथा 19 के अधीन बनाए गए नियमों के भंग के लिए शास्ति—धारा 12 या धारा 19 के अधीन बनाए गए किसी नियम का भंग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

24. नियमों के व्यतिक्रम पर या उनके भंग पर पट्टे का रद्दकरण—जब किसी सार्वजनिक फैरी के पथकरों का कोई पट्टेदार ऐसे पथकरों की बाबत संदेय किराए के संदाय में व्यतिक्रम करता है, या धारा 23 के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है, या धारा 21 या धारा 22 के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराए जाने पर उन धाराओं में से किसी एक के अधीन किसी अपराध का पुन: सिद्धदोष ठहराया जाता है,

तब जिला मजिस्ट्रेट, खण्ड के आयुक्त की मंजूरी से, ऐसी फैरी के पथकरों का पट्टा रद्द कर सकता है, और ऐसी पूरी अवधि या उसके किसी भाग के दौरान, जिसके लिए पथकर किराए गए दिए थे, प्रबन्ध के लिए अन्य व्यवस्था कर सकता है ।

25. अपराध करने वाले यात्रियों पर शास्तियां—किसी सार्वजनिक फैरी से पार करने वाला या उसके पहुंच मार्ग या उतरने का स्थान का प्रयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति—

जो ऐसा पथकर न देने के आशय से किसी ऐसी फैरी को पथकर दिए बिना कपटपूर्ण या बलपूर्वक पार करता है, या

जो किसी सार्वजनिक फैरी के पथकरों के किसी पथकर संग्राहक या पट्टेदार को या उसके सहायकों में से किसी को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किसी प्रकार से बाधा पहुंचाता है, या

जो किसी ऐसे पथकर संग्राहक, पट्टेदार या उसके सहायक की ऐसी चेतावनी पर भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए उस फैरी पर किसी ऐसे फैरी, नौका में या पुल से जो ऐसी दशा में है या इस तरह लदी हुई है कि मनुष्य और सम्पत्ति को संकट में डाल सकती है, जाता है या कोई पशु, यान या अन्य वस्तुएं ले जाता है, या

जो ऐसे पथकर संग्राहक, पट्टेदार या सहायक द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी, किसी ऐसे फैरी, नौका या पुल को छोड़ने या किन्हीं पशुओं, यानों या वस्तुओं को हटाने से इन्कार करता है या उपेक्षा करता है,

वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकता है, दण्डित किया जाएगा ।

[1][**26. प्रतिषिद्ध सीमाओं के भीतर निजी फैरी रखने के लिए शास्ति**—जो कोई धारा 13 के उपबन्धों के उल्लंघन में कोई फैरी स्थापित करता है, बनाए रखता है या चलाता है, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकता है, और जिस अवधि के दौरान वह फैरी उन उपबन्धों के उल्लंघ में बनाए रखी या चलाई जाती है, प्रतिदिन ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकता है, दण्डित किया जाएगा ।

27. जुर्माने पट्टेदार को संदेय होंगे—जहां किसी सार्वजनिक फैरी के पथकर इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन पट्टे पर दिए गए हों, वहां धारा 17 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 25 या धारा 26 के अधीन वसूल किया गया सम्पूर्ण जुर्माना या उसका कोई भाग, दोषसिद्ध ठहराने वाले मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटों के न्यायपीठ के विवेकाधिकार के अनुसार, पट्टेदार को संदत्त किया जा सकता है ।

28. उतावलेपन से नौचालन और इमारती लकड़ी के ढेर लगाने के लिए शास्ति—जो कोई ऐसे उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण रीति से किसी जलयान या बेड़े का नौचालन करता है या लंगर डालता है या उसे बांधता है या फंसाता है, या इमारती लकड़ी का ढेर लगाता है, जिससे किसी सार्वजनिक फैरी की क्षति हो तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा और ऐसी फैरी के पथकरों का पथकर संग्राहक या पट्टेदार या उनके सहायकों में से कोई इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित जांच तथा निर्धारण लम्बित रहने तक ऐसे जलयान, बेड़े या ऐसी इमारती लकड़ी का अभिग्रहण कर सकता है तथा उसे निरुद्ध रख सकता है ।

29. बिना वारण्ट गिरफ्तार करने की शक्ति—धारा 25 या धारा 28 के अधीन अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को पुलिस बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकती है ।

30. संक्षिप्त विवारण करने की शक्ति—दण्ड प्रक्रिया संहिता[2] के अध्याय 18 के अधीन संक्षिप्त अधिकारिता रखने वाला कोई मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट का न्यायपीठ इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का विचारण उस अध्याय में उपबंधित रीति में कर सकता है ।

31. अपराधी द्वारा किए गए नुकसान का मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारण—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटों का न्यायपीठ अपराधी द्वारा संबद्ध फैरी को किए गए या कराए गए नुकसान (यदि कोई हो)

---

[1] मूल धारा के स्थान पर 1886 के अधिनियम सं० 3 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] अब देखिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1974 (1973 का 2) अध्याय 21 ।

के मूल्य का निर्धारण कर सकेगा और इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने के अतिरिक्त उसे ऐसे मूल्य की रकम अपराधी द्वारा दिए जाने का आदेश देगा; और ऐसी आदिष्ट रकम इस प्रकार उद्ग्रहणीय होगी मानो वह जुर्माना हो, या, जब अपराध धारा 28 के अधीन अपराध है तब, नुकसान करने वाले जलयानों, बेड़ों या इमारती लकड़ी के विक्रय द्वारा, तथा ऐसे जलयान या बेड़े में या उस पर पाई गई किसी वस्तु के विक्रय द्वारा, उद्ग्रहणीय होगी ।

खण्ड का आयुक्त इस धारा के अधीन किसी आदेश से स्वयं को व्यथित समझने वाले किसी व्यक्ति की अपील पर ऐसे आदेश के अधीन संदेय रकम को कम कर सकता है या छोड़ सकता है ।

5. प्रकीर्ण

32. पट्टे के अभ्यर्पण या रद्दकरण पर नौकाओं, आदि का कब्जा लेने की शक्ति—जब किसी फैरी के पथकरों के पट्टे का धारा 11 के अधीन अभ्यर्पण किया जाए या धारा 24 के अधीन उसे रद्द किया जाए, तब जिला मजिस्ट्रेट ऐसी फैरी के प्रयोजनों के लिए पट्टेदार द्वारा प्रयुक्त सभी नौकाएं और उनके उपस्कर तथा सभी अन्य सामग्री और साधित्र कब्जे में ले सकता है और उनका उपयोग उसके उपयोग के लिए ऐसा प्रतिकर संदत्त करते हुए जैसा राज्य सरकार प्रत्येक मामले में निदेश दे, तब तक कर सकता है जब तक ऐसा मजिस्ट्रेट उनके उचित प्रतिस्थानी सुविधापूर्वक उपाप्त न कर ले ।

33. आपात की दशाओं में तत्समान शक्ति—जब [1][भारत सरकार] के कर्तव्यारूढ़ अधिकारियों या सैनिकों या सरकारी कारबार में लगे अन्य व्यक्तियों या ऐसे अधिकारियों, सैनिकों या व्यक्तियों के किन्हीं पशुओं, यानों से माल असबाबों, या [1][सरकार] की किसी संपत्ति के परिवहन की सुविधा के लिए नौकाएं, या उनके उपस्कर, या कोई फैरी खड़ा करने के लिए कोई सामग्री या साधित्र, तुरन्त आवश्यक है तो जिला मजिस्ट्रेट उन्हें कब्जे में ले सकता है और उनका उपयोग (उनके उपयोग के लिए ऐसे प्रतिकर का संदाय करते हुए, जो [2][केन्द्रीय सरकार (जहां परिवहन केन्द्रीय सरकार के कार्यकलापों से सम्बन्धित हैं) और अन्य मामलों में राज्य सरकार प्रत्येक मामले में निदेश दे] तब तक कर सकता है) जब तक ऐसी परिवहन पूरा नहीं हो जाता ।

34. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित—इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी प्रतिकर की रकम, या अनुज्ञेय किराए की कमी, अभिनिश्चित करने के लिए कोई भी वाद किसी सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञेय नहीं होगा ।]

35. शक्तियों का प्रत्यायोजन—राज्य सरकार, समय-समय पर, ऐसे निबन्धनों के अधीन जैसे वह ठीक समझे, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से कोई शक्ति किसी खण्ड आयुक्त को या जिला मजिस्ट्रेट को या, ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे वह ठीक समझे, नाम से या उसके पद के आधार पर, प्रत्यायोजित कर सकती है ।

36. [**पंजाब में 1819 के विनियम संख्यांक 6 के निरसन से कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण ।**]—संशोधन अधिनियम, 1891 (1891 का 12) की धारा 2 और अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा निरसित ।

———

[1] "हर मैजेस्टी" के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] "स्थानीय सरकार" के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित ।